Exchange

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/343
मुकदमा नम्बर 134/2024

दावा दर्ज दिनांक–18.07.2024

1. महावीर सिह पुत्र जीवणराम
2. मूलचन्द पुत्र नौरंग समस्त जाति जाट निवासी कुमावास,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधज्ञा

वकील वादी : – श्री अमर सिंह
वकील प्रतिवादी :– पैरो. राज.

:: निर्णय :: **निर्णय दिनांक** 24-12-2024

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम मैणास पटवार हल्का कुमावास की सरहद में वादी सं. 01 की भूमि ख.नं. 41 रकबा 1.25 है0 तथा वादी सं. 2 की भूमि खसरा नं. 511/41 रकबा 1.25 है0 स्थित है। वादीगण की आपस में भूमि की अदला–बदली /बिनिमय के अनुसार किया जाकर खाता राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी की जारी की गई। प्रतिवादी की और से पैरो. राज द्वारा कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया। श.वादी में मूलचन्द व महावीर सिंह का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस वकील वादी द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों का दोहराते हुये तथा दस्तावेजों का अवलोकन करवाते हुये वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो एंव साक्ष्य शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया।

वादीगण सं. 1 व 2 द्वारा जो भूमि एक्सचेंज /विनिमय की जा रही है वह समान मात्रा में है तथा विनिमय करने वाले दोनो पक्ष सहमत भी है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम मैणास पटवार हल्का कुमावास की सरहद में वादी सं. 01 की भूमि ख.नं. 41 रकबा 1.25 है0 तथा वादी सं. 2 की भूमि खसरा नं. 511/41 रकबा 1.25 है0 स्थित है। वादीगण की आपस में भूमि की अदला–बदली/विनिमय के अनुसार किया जाकर, नियमानुसार यदि कोई रजिस्ट्रेशन फीस अथवा स्टाम्प

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

ge

ड्यूटी अपेक्षित हो तो वादिगण द्वारा जमा करवाये जाने के पश्चात् खाता व राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में विनिमय नियमों के तहत कोई रजिस्ट्रेशन,स्टाम्प शुल्क या अन्य कोई प्रभार बनता हो तो नियमानुसार गणना करवाकर वादीगण से जमा कर लिया जावे तदपश्चात् ही आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद किया जावे। इसके लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर आदेश की नकल के साथ जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ...24-12-2024.. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2024 / 343

मुकदमा नम्बर 134 / 2024 दावा दर्ज दिनांक–18.07.2024

1. महावीर सिह पुत्र जीवणराम
2. मूलचन्द पुत्र नौरंग समस्त जाति जाट निवासी कुमावास,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम मैणास पटवार हल्का कुमावास की सरहद में वादी सं. 01 की भूमि ख.नं. 41 रकबा 1.25 है0 तथा वादी सं. 2 की भूमि खसरा नं. 511/41 रकबा 1.25 है0 स्थित है। वादीगण की आपस में भूमि की अदला–बदली/विनिमय के अनुसार किया जाकर, नियमानुसार यदि कोई रजिस्ट्रेशन फीस अथवा स्टाम्प ड्यूटी अपेक्षित हो तो वादिगण द्वारा जमा करवाये जाने के पश्चात् खाता व राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में विनिमय नियमों के तहत कोई रजिस्ट्रेशन,स्टाम्प शुल्क या अन्य कोई प्रभार बनता हो तो नियमानुसार गणना करवाकर वादीगण से जमा कर लिया जावे तद्पश्चात् ही आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद किया जावे। इसके लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर आदेश की नकल के साथ जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। **जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............ फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।**

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. २५ माह १२ सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00